रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20082024-256501
CG-MH-E-20082024-256501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 470] | नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/ श्रावण 29, 1946 |
|---|---|
| No. 470] | NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/ SHRAVANA 29, 1946 |

## परमाणु ऊर्जा विभाग

## अधिसूचना

मुंबई, 16 अगस्त, 2024

**सा.का.नि. 509(अ).-----** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परमाणु ऊर्जा विभाग (चालक) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग में चालक संवर्ग के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (चालक श्रेणी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम। | पदों की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन या अचयन पद। |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)। | 371*(2024)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपतिर्त, अननुसचिवीय पद। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपए)। | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। |
|---|---|
| (6) | (7) |
| 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br><br>**टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।<br><br>**टिप्पण 2-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हो। | आवश्यक :<br>(i) 10वीं कक्षा पास;<br>(ii) भारी व हल्के यान चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति धारक;<br>(iii) मोटर क्रियाविधि की जानकारी (अभ्यर्थी वाहन की छोटी-मोटी खराबियाँ दूर करने में समर्थ चाहिए);<br>(iv) हल्के यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा भारी यान चलाने का कम से कम छह वर्ष का अनुभव।<br><br>**वांछनीय :**<br>जिसके पास दोपहिया यान चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति हो।<br><br>**टिप्पण 1** : अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए गए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों या पुन:नियोजित व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा। |
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रतिनियुक्ति / आमेलन :**<br><br>परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए) के नियमित डिस्पैच राइडर (ग्रुप सी) और ग्रुप 'सी' कर्मचारियों में से, जिनके पास हल्के या भारी यान चलाने की क्षमता के परीक्षण के आधार पर हल्के और भारी यान के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति है। जिसके न हो सकने पर नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर पदाधिकारियों में से या केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रुपए) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों।<br><br>**टिप्पण** 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर, प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 3.-** चयन में सुसंगत विषय में व्यवसायिक परीक्षण और हल्के और भारी दोनों वाहनों का चालन परीक्षण शामिल है। | समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:<br><br>1.निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या उप मुख्य कार्यकारी / ए या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी – अध्यक्ष;<br><br>2.अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक-सदस्य;<br><br>3.परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी घटक इकाई से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले एक वैज्ञानिक अधिकारी- सदस्य; और<br><br>4.राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का एक अधिकारी- सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2.वाहन चालक श्रेणी-II | 372*(2024)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। | साधारण केन्द्रीय समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर--4<br><br>(रु.25500-81100 रुपए)। | चयन। |

| (6) | (7) |
|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति :**<br><br>वाहन चालक (श्रेणी-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (19900-63200 रुपए) श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।<br><br>**टिप्पण 1**.- प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने के लिए निर्णायक तिथि रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।<br><br>**टिप्पण 2**.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से, कम न हों, और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:<br><br>1.निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या उप मुख्य कार्यकारी ए / या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष;<br><br>2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक-सदस्य;<br><br>3.परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी घटक इकाई से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले एक वैज्ञानिक अधिकारी- सदस्य । | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. वाहन चालक श्रेणी-1 | 433*(2024)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। | साधारण केन्द्रीय समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)। | चयन। |

| (6) | (7) |
|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति :**<br><br>वाहन चालक (श्रेणी-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।<br><br>**टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने के लिए निर्णायक तिथि रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।<br><br>**टिप्पण 2.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हों, और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:<br><br>1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या उप मुख्य कार्यकारी / ए या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष;<br><br>2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक-सदस्य;<br><br>3. परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी घटक इकाई से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले एक वैज्ञानिक अधिकारी- सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4.वाहन चालक (स्पेशल श्रेणी)। | 62*(2022)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। | साधारण केन्द्रीय समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपए)। | चयन। |

| (6) | (7) |
|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | एक वर्ष। | प्रोन्नति द्वारा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति :**<br><br>वाहन चालक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए) श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।<br><br>**टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने के लिए निर्णायक तिथि रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।<br><br>**टिप्पण 2**.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति विचार किया जा रहा है, वहीं वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हों, और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं :<br><br>1. संबंधित इकाई के प्रशासनिक अध्यक्ष;<br>2. प्रशासनिक अधिकारी–III / उप स्थापना अधिकारी - सदस्य;<br>3. मोटर यान निरीक्षक – सदस्य;<br>4. परमाणु ऊर्जा विभाग के कोई वैज्ञानिक अधिकारी जिनके पास ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री हो- सदस्य।<br><br>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं :<br><br>1. संबंधित इकाई के प्रशासनिक प्रधान-अध्यक्ष;<br>2. संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी–III/ उप स्थापना अधिकारी - सदस्य;<br>3. डीएई की किसी संघटक इकाई के प्रशासनिक अधिकारी–III / उप स्थापना अधिकारी – सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं.19/10/2022- सीसीएस/11842]

ए.आर.सुले, अपर सचिव,

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th August, 2024

**G.S.R. 509(E).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Atomic Energy (Drivers) Recruitment Rules, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. **Short title and commencement**. **-** (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Driver Cadre) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicatio**n. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**. **-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. **-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. -** No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**. **-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**Schedule**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Driver (Ordinary Grade) | 371*(2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix. | Not applicable. |

| **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** |
|---|---|
| (6) | (7) |
| Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>**Note 1.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Division of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.<br><br>**Note 2.-** In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. | **Essential:**<br>(i) Pass in 10th Standard;<br>(ii) Possession of a valid driving licence to drive light and heavy vehicles;<br>(iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle);<br>(iv) Experience of driving a light vehicle for at least three years and heavy vehicles for at least six years.<br><br>**Desirable:**<br>Possession of a valid driving licence to drive two wheelers.<br>**Note 1.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Schedules Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable. | One year for direct recruits or re-employed. | By direct recruitment failing which by deputation/ absorption. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Deputation/ Absorption:<br>From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group 'C' employees in level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in the Department of Atomic Energy who possess valid Driving Licence for light and heavy vehicles on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Light or Heavy vehicles failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:<br>1. Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative Officer - Chairperson;<br>2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer –III or Deputy Controller of | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).<br><br>**Note 1**.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note 2**.-The maximum age-limit for appointment by deputation shall be as per the orders issued by Department of Personnel and Training.<br><br>**Note 3.-** The selection involves Trade test in relevant subject and driving test of both light and heavy vehicles. | Accounts- Member;<br>3. A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering-Member; and<br>4. An official from the State Regional Transport Authority-Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Driver Grade-II | 372*(2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix. | Selection. |

| (6) | (7) |
|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | By promotion. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and have passed the trade test prescribed by the Department.<br><br>**Note 1**.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.<br><br>**Note 2**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:<br>1. Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative Officer - Chairperson;<br>2. Under Secretary(Administration)or Administrative Officer –III or Deputy Controller of Accounts-Member;<br>3. A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering- Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. Driver Grade-I | 433*(2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix. | Selection. |

| (6) | (7) |
|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | By promotion. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Promotion:<br>Driver Grade-II in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and have passed the trade test prescribed by the Department.<br>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.<br>Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:<br>1. Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative Officer - Chairperson;<br>2. Under Secretary (Administration) or Administrative Officer –III or Deputy Controller of Accounts-Member;<br>3. A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering- Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Driver (Special Grade) | 62*(2024)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. | Selection. |

| (6) | (7) |
|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| Not applicable. | One year. | By promotion. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Driver Grade-I in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade.<br>**Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.<br>**Note 2**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:<br>1. Administrative Head of the Unit concerned- Chairperson;<br>2. Administrative Officer –III or Deputy Establishment Officer - Member;<br>3. Motor Vehicle Inspector - Member<br>4. A Scientific Officer of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering - Member.<br><br>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:<br>1. Administrative Head of the Unit concerned- Chairperson;<br>2. Administrative Officer –III or Deputy Establishment Officer of the Unit concerned - Member;<br>3. Administrative Officer –III or Deputy Establishment Officer of any constituent unit of DAE - Member | Not applicable. |

[File No. 19/10/2022-CCS/11842]

A. R. Sule,Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.20 23:07:04 +05'30'